प्रश्न सं. [क्र. 5685]

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
"मंत्रालय"

क्रमांक सी 2–1/1/3/2012 भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर,2012

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्य प्रदेश।

विषयः–वाहन/परिवहन भत्ते की स्वीकृति।

संदर्भः–इस विभाग का परिपत्र सी–2/1/03/3/एक, दिनांक 15.09.2003

—0—

इस विभाग के संदर्भित ज्ञाप द्वारा बी–1 (भोपाल, इंदौर) तथा बी–2 (ग्वालियर, जबलपुर) श्रेणी के नगरों में पदस्थ कार्यभारित एवं आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए सभी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के ऐसे शासकीय सेवक जो नगर निगम/नगरपालिका की सीमा में रहते हो, को 50 रू.(पचास रूपये) प्रतिमाह की दर से वाहन भत्ता स्वीकृत किया गया था।

2. राज्य शासन द्वारा भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर मुख्यालयों पर पदस्थ तथा इन नगर निगमों की सीमा में निवासरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के शासकीय सेवकों (कार्यभारित तथा आकस्मिकता सेवा सहित) को कंडिका 1 में उल्लेखित वाहन भत्ते के स्थान पर रूपये 200/–(दो सौ रूपये) प्रतिमाह तथा ऐसे निःशक्त कर्मचारियों को रूपये 350/–(तीन सौ पचास रूपये) प्रतिमाह की दर से परिवहन भत्ता निम्नांकित शर्तो पर स्वीकृत किया जाता हैः–

(क) आकस्मिक अवकाश को छोडकर अन्य समस्त प्रकार के अवकाशों की अवधि में परिवहन भत्ता देय नहीं होगा।

(ख) परिवहन भत्ता स्वीकृति के लिये स्वयं वाहन रखने की शर्त का प्रतिबंध नहीं होगा।

3. ऐसे प्रत्येक शासकीय सेवक, जिन्हें परिवहन भत्ता स्वीकृत किया गया है; के वेतन देयक में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा निम्नलिखित प्रमाणिकरण अभिलिखित किया जाना चाहिये :–

प्रमाणित किया जाता है कि उन समस्त कर्मचारियों द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. सी/2–1/1/3/2012 दिनांक 11.9.2012 में निर्धारित सभी शर्तें पूरी की गई है जिनका परिवहन भत्ता इस देयक में आहरित किया गया है।

.......2

बेटी है तो कल है

4. यह आदेश दिनांक 01 अगस्त 2012 से प्रभावशील होंगे।

5. यह आदेश वित्त विभाग यू.ओ.क्र. 1712/12/नि./चार दिनांक 31.08.2012 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी किये गये है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर0के0गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्र. सी 2–1/1/3/2012 भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर,2012

प्रतिलिपि,

1. राज्यपाल के सचिव,मध्य प्रदेश राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव/सचिव,मुख्य मंत्री,मुख्य मंत्री सचिवालय मध्य प्रदेश,भोपाल
3. मुख्य सचिव के अपर सचिव,मंत्रालय भोपाल
4. प्रमुख सचिव,मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय,भोपाल
5. महानिदेशक प्रशासन अकादमी मध्य प्रदेश भोपाल
6. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक ,मध्य प्रदेश भोपाल
7. सचिव,लोकायुक्त,मध्य प्रदेश भोपाल
8. रजिस्ट्रार जनरल,उच्च न्यायालय ,मध्य प्रदेश जबलपुर
9. सचिव मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर
10. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,मध्य प्रदेश,भोपाल
11. सचिव,मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल
12. अध्यक्ष,व्यावसायिक परीक्षा मंडल,मध्य प्रदेश,भोपाल
13. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, म0प्र0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर ।
14. महालेखाकार,मध्य प्रदेश, ग्वालियर/ भोपाल
15. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल
16. उपसचिव/अवरसचिव,स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मु.लेखाधिकारी,म0प्र0 भोपाल,
17. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय,मध्य प्रदेश भोपाल
18. सचिव,मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग निर्वाचन भवन द्वितीय मंजिल भोपाल।
19. अध्यक्ष,मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति भोपाल
20. अध्यक्ष,शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ भोपाल ।
21. बेवसाईट अपलोडिंग प्रभारी, सा0प्र0वि0 मंत्रालय भोपाल

(प्रभा अग्रवाल)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग